राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 419/2010/बीकानेर.

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वृत–बी, बीकानेर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स अग्रवाल पोर्सलीन, इण्डस्ट्रियल एरिया, बीकानेर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन. एस. राठौड़,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री सुरेश ओझा, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 30/4/2014

निर्णय

यह अपील सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वृत–बी, बीकानेर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 276/सीएसटी/बीकानेर/07–08 में पारित किये गये आदेश दिनांक 21.8.2009 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत पेश की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी इकाई इन्सुलेटर का निर्माण कर राज्य व अन्तर्राज्यीय व्यवहार में विक्रय करती है। कर निर्धारण अधिकारी ने वर्ष 2006–07 के कर निर्धारण अन्तर्गत धारा 23 में ईकाई द्वारा डीजल के कच्चे माल के रूप में उपयोग लेने पर चाहे गये आई.टी.सी. को राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 31.3.2007 के आधार पर बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये अस्वीकार किया है। आई.टी.सी. का यह समायोजन ईकाई ने केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे **'केन्द्रीय अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 9 के तहत पारित कर निर्धारण में चाहा गया था। इस कर निर्धारण आदेश को अपीलीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दिये जाने पर अपीलीय अधिकारी ने अधिनियम की धारा 48 के तहत बाध्यकारी प्रावधान के उल्लंघन के कारण व्यवहारी को विधिवत् सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया। इस आदेश को विभाग द्वारा चुनौती दी गई है, जिसमें 'सी' फॉर्म के अभाव में आरोपित कर रूपये 6,39,023/– व ब्याज रूप्ये 91,796/– को विवादित किया गया है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

लगातार.....2

अपीलार्थी के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग को बिना उचित कारणों के अपास्त कर भूल की है तथा प्रकरण प्रतिप्रेषित कर भूल की है। जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने विधिसम्मत रूप से राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 31.3.2007 के अनुसार डीजल की खरीद पर आई.टी.सी. अस्वीकार किया था। अतः अपीलीय आदेश निरस्त कर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को बहाल किये जाने पर बल दिया।

प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस में कथन किया कि अधिनियम की धारा 83 के तहत अपीलीय अधिकारी के आदेश से असहमत पक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी को विधिसम्मत रूप से कर निर्धारण हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है, इसलिए ऐसी स्थिति में अपील श्रवण योग्य ही नहीं है।

अग्रिम कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 23 के तहत स्वः कर निर्धारण योजना के तहत कर निर्धारण संधारित किया है। किसी प्रकार के कर दायित्व में वृद्धि की स्थिति में कर निर्धारण बाद सुनवाई का अवसर प्रदान कर धारा 24 के तहत पारित करना चाहिये था, इसलिए भी आदेश अविधिक था।

अग्रिम कथन किया कि जब अपीलीय अधिकारी द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार सुनवाई का अवसर प्रदान कर आदेश पारित किये जाने के लिये प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है, ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील पौषणीय ही नहीं रहती है। तर्क के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के **डी.बी. इन्कम टैक्स अपील संख्या 2/2011 श्री अमरचंद बोरड़ बनाम आई.टी.ओ. वार्ड–प्रथम, श्रीगंगानगर निर्णय दिनांक 14.2.2011** को उद्धरित किया है, जिसमें माननीय न्यायालय ने निर्णीत किया है कि :–

> "When the Tribunal has set aside the order of CIT (A) and has remanded the case to the AO, we fail to appreciate as to why this appeal is filed by the Assessee against the order of Tribunal.

उक्त आधारों पर राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं अपीलीय आदेश का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी का वर्ष 2006–07 का केन्द्रीय अधिनियम के तहत कर निर्धारण अधिनियम की धारा 23 पारित किया गया है।

लगातार.....3

घोषणा—पत्रों के अभाव में आरोपित कर व ब्याज, जिसे इस अपील में विवादित किया गया है, अपीलीय आदेश में ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग समाप्त कर दी गई थी। अपील में केवल डीजल पर आई.टी.सी. का ही बिन्दु विवादित रह गया था, जिसके लिये अपीलीय अधिकारी ने सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त विधिसम्मत रूप से कर निर्धारण हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया था। अधिनियम की धारा 48 अनुसार किसी भी प्रकार के दायित्व में वृद्धि से पूर्व व्यवहारी को सुनवाई का अवसर दिया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुकूल होता है। इसलिए अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण को प्रतिप्रेषित कर कोई विधिक भूल नहीं की थी।

यहां यह उल्लेखनीय है कि कर निर्धारण अधिकारी ने राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 31.3.2007 के अनुसरण में डीजल की खरीद पर चुकाये गये कर का आई.टी.सी. अस्वीकार किया है। अधिनियम की धारा 18(1)(ई) के तहत कच्चे माल के रूप में क्रय की गई ऐसी वस्तु पर आई.टी.सी. देय नहीं होगा, जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गई है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12(28)एफडी/टैक्स/2007/147 दिनांक 9.3.2007, जो कि दिनांक 1.4.2006 से प्रभावी है, अनुसार अधिनियम की धारा 18(1)(ई) के तहत एल.डी.ओ./एच.डी.ओ. को अधिसूचित किया है। जिसका तात्पर्य है कि कच्चे माल के रूप में एल.डी.ओ./एच.डी.ओ. की खरीद पर चुकाये गये वैट का आई.टी.सी. देय नहीं होगा। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश में अधिसूचना दिनांक 31.3.2007 का जिक्र किया है। ऐसी कोई अधिसूचना इस सम्बन्ध में होना नहीं पाया जाता है।

उक्त अनुसार अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषण आदेश की पुष्टि की जाकर राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
30/5/14